

प्रतिवेदन

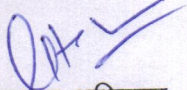
परियोजना का नाम :-

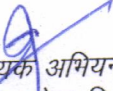
जनपद अल्मोड़ा में हरड़ा-भिकियासैण मोटर मार्ग का नव निर्माण।
4.676है० (17.400किमी.)

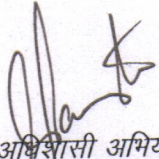
उपरोक्त मोटर मार्ग का शासनादेश सं. 1542/111(2)/09-22(मु०मं०घो०)/09 दिनांक 31.03.10 के द्वारा 17.400 किमी. लम्बाई हेतु रु. 335.40 लाख मात्र की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

यह मोटर मार्ग हरड़ा से होते हुए अन्य आस-पास के ग्रामों को जोड़ते हुए भिकियासैण (थापला) तक पहुँचता है, इस मार्ग निर्माण की मांग जनता द्वारा की जा रही है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से स्थानीय जनता एवं ग्रामीणों के द्वारा उत्पादित फल, सब्जी, अनाज इत्यादि को मण्डी तक पहुँचाने में सीधा लाभ प्राप्त होगा व प्लायन की कमी होगी तथा भिकियासैण से हरड़ा होते हुए रेल मुख्यालय/मण्डी रामनगर(नैनीताल) अपने खेतों से उत्पादित फल, सब्जी अनाज आदि लाने व ले जाने में सुविधा प्राप्त होगी व किराये भाड़े में कमी होगी, जिससे विकास में वृद्धि होने के कारण बेरोजगारी की कमी होगी।

इस प्रकार उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु सिविल राज्य वन भूमि 3.486है०, वन पंचायत भूमि 1.190है० कुल 4.676है० तथा 10.94है० नाप भूमि प्रभावित होती है जिस हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव गठित किये गये हैं।


अपर सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत